न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 223/2016

1. सुन्दर सिंह उर्फ सोहनसिंह } पिसरान स्व. श्री दयाल सिंह कौम बावरी निवासी
2. जगजीत सिंह उर्फ जगदीश } चक 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. बिन्द्रकौर उर्फ रानी पुत्री स्व. श्री दयालसिंह पत्नी श्री सुखाराम जाति बावरी निवासी चक 5 पी.एस.डी. "ए" तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)
2. जरनैलसिंह पुत्र स्व. श्री दयालसिंह } कौम बावरी निवासीयान चक 5 पी बड़ी,
3. अमरकौर पत्नी स्व. श्री दयालसिंह } कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 08.04.2017

वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एक्ट अधिनियम बाबत दरूस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 4 पी. बड़ी पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के संयुक्त खाता संख्या 77/62 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.200 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 4.133 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 {सोहनसिंह, जगदीश, जरनैलसिंह पिसरान दयालसिंह, रानी पुत्री दयालसिंह, अमरकौर पत्नी दयालसिंह हर चार बहिस्सा बराबर} के नाम संयुक्त रूप से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है ।

उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के पिताजी तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति दयालसिंह पुत्र हरीसिंह के स्वर्गवास होने के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 242 दिनांक 05.12.2005 द्वारा प्राप्त हुई। उक्त विरास्तन इन्तकाल में वादीगण को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये वादी संख्या 1 का नाम "सोहनसिंह", वादी संख्या 2 का नाम "जगदीश" तथा वादीया संख्या 3 का नाम "रानी" अंकित कर दिया । जबकि वादी संख्या 1 के शैक्षणिक दस्तावेजात, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि में वादी संख्या 1 का नाम "सुन्दरसिंह पुत्र दयालसिंह" अंकित है । वादी संख्या 2 के शैक्षणिक दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में वादी संख्या 2 का नाम "जगजीत सिंह पुत्र दयालसिंह" अंकित है एवं वादीया संख्या 3 के आधार कार्ड, पहचान

पत्र आदि में नाम ''बिन्द्रकौर'' अंकित है । वादीगण का कृषि भूमि रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादीगण के नाम से जारी मतदाता पहचान, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादीगण को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादीगण वंचित हो रहे है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित ''सोहनसिंह पुत्र दयालसिंह'' वादी संख्या 1 का तथा ''जगदीश पुत्र दयालसिंह'' वादी संख्या 2 का एवं ''रानी पुत्री दयालसिंह'' वादीया संख्या 3 का नाम है तथा एक ही व्यक्ति है। इन्तकाल संख्या 242 दिनांक 05.12.2005 की प्रमाणित प्रतिलिपी तथा वादीगण के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो की प्रतियां संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के संयुक्त नाम से दर्ज कृषि भूमि में कुल पांच हिस्सेदार होने के कारण ''हर पांच बहिस्सा बराबर'' अंकित करना चाहिए था लेकिन राजस्व रिकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी में ''सोहनसिंह, जगदीश, जरनैलसिंह पिसरान दयालसिंह, रानी पुत्री दयालसिंह, अमरकौर पत्नी दयालसिंह हर चार बहिबराबर'' अंकित है जिसे भी दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादीगण ने दिनांक 28.11.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम एवं ''हर चार बहिस्सा बराबर'' की त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादीगण को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादीगण नेकनीयत है वादीगण क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहे है।

प्रतिवादी संख्या 1 लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का वादीगण के साथ संयुक्त हिस्सा होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाये गये है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) चक 4 पी बड़ी पटवार हल्का कोनी तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या 77/62 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल कृषि भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (सोहनसिंह, जगदीश, जरनैलसिंह, पिसरान दयालसिंह, रानी, पुत्री दयालसिंह, अमरकौर पत्नी दयालसिंह हर चार बहिब 4.133 है.) के नाम दर्ज कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरूस्त किया जाकर ''सुन्दरसिंह, जगजीतसिंह, जरनैलसिंह पिसरान दयालसिंह, बिन्द्रकौर पुत्री दयालसिंह, अमरकौर पत्नी दयालसिंह हर पांच बहिस्सा बराबर'' अंकित करने के आदेश दिये जावे''।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 18.01.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के होने के कारण औपचारिक पक्षकार है तथा वाद पत्र में अंकित भूमि में प्रथम पक्षकारान के नाम में हुई त्रुटी को दुरूस्त करने से पक्षकारान के हक व हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 का नाम ''सुन्दरसिंह'' वादी संख्या 2 का नाम ''जगजीत सिंह'' व वादीया संख्या 3 का नाम ''बिन्द्रकौर'' अंकित करने के आदेश पारित किये जावे तो पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम व दरूस्त किए जाने वाले नाम एक ही है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश होनें से कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाकर सम्बंधित दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्धान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन वादीगण का वाद पत्र पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 4 पी बड़ी पटवार हल्का कोनी तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या 77/62 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल कृषि भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 (सोहनसिंह, जगदीश, जरनैलसिंह, पिसरान दयालसिंह, रानी, पुत्री दयालसिंह, अमरकौर पत्नी दयालसिंह हर चार बहिस्सा बराबर 4.133 हैक्टर) के नाम दर्ज कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त किया जाकर ''सुन्दरसिंह, जगजीतसिंह, जरनैलसिंह पिसरान दयालसिंह, बिन्द्रकौर पुत्री दयालसिंह, अमरकौर पत्नी दयालसिंह हर पांच बहिस्सा बराबर'' अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल अहूजा)